हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

3/1/18 पत्रावली पेश हुई
अधिवक्ता/वादी/प्रतिवादी, उभयपक्ष/उप
अनुपस्थित
.../अपार्थी/उभयपक्ष/उप
स्थित
पत्रावली पुनः तलाश हेतु अन्तिम अवसर
आगामी पेशी दिनांक 12/1/18 दिया जाता है।
को पेश हो

12/1/18 वकुलाए फरिकैन उपस्थित प्रार्थीगण
इमरतीलाल, ताराचन्द की ओर से प्रार्थना-
-पत्र O1 R10 C.P.C. पेश किया जो
शामिल फाईल किया गया। पत्रावली
वास्ते जवाब दर्ज दिनांक 19/1/18 को
पेश हो।

19/1/18 वकुलाए फरिकैन उपस्थित।
बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते
निर्णय मुल्त. दर्ज दिनांक 29/1/18
को पेश हो।

29/1/18 वकुलाए फरिकैन उपस्थित। पत्रावली
का अवलोकन किया गया। प्रार्थीया
ने दिनांक 14/10/16 को प्रार्थना-पत्र
अन्तर्गत धारा 212 R.T. Act विरुद्ध अप्रार्थीगण
इस आशय का पेश किया कि चकन.

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

29 MMK के खाता सं. 48/44 की 10.915 हैं० में से 2.974 हैं० व 30 MMK के खाता न० 84/80 की 6.364 हैं० में से 2.576 हैं अप्रार्थी संख्या 1 ता 6 के नाम विरासतन से दर्ज हुई है में 1/7 हिस्सा प्रार्थीया प्राप्त करने की अधिकारी है। अत: अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वे वादग्रस्त भूमि को रहन बैय व अन्य तरीके से अन्तरित नहीं करें। प्रार्थना पत्र प्रार्थीया प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तथा दिनांक 19/10/16 को आगामी पेशी तक उक्त आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई। दिनांक 30/1/17 को अप्रार्थी सं० 1 व 2 की ओर से प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जवाब इस आशय का पेश किया कि प्रार्थीया ने अपने वादपत्र में अंकन किया है कि वह मृतक रेवन्तराम की द्वितीय पत्नी है। कानूनन प्रार्थीया को प्रश्नगत भूमि में कोई हक व हिस्सा नहीं बनता है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 जो कि मृतक रेवन्तराम के जायज वारिसानों में है जो अपनी पिता की मृत्यु के बाद उनके नाम से प्रश्नगत भूमि में सही व काबिल हिस्सेदार है इसलिए उक्त इन्तकाल विरासत हुआ है वह सही है। प्रार्थना पत्र प्रार्थीया खारिज फरमाया जावे। दिनांक 12/1/18 को प्रार्थीगण इमरतीलाल, ताराचंद ने बतौर

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned by CamScanner

प्रकरण सं० 13/6A/2016 ...

21212? ...

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर ... जो इस ...

अप्रार्थीगण पक्षकार बनाने प्रार्थना-पत्र आदेश 1 नियम 10 C.P.C. पेश किया जिसे स्वीकार करने में किसी को आपत्ति नहीं होने से स्वीकार किया गया। विद्वान अभिभावक उभय पक्ष की बहस पर मनन करने एवं पत्रावली के अवलोकन करने उपरान्त यह निष्कर्ष निकलता है कि हकों का निर्धारण मूल वाद में तय होना है। प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीया के 1/7 हिस्सा तथ्य प्रार्थीया के पक्ष में पाया जाता है। अत: दिनांक 19/10/16 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा में संशोधन करते हुए अप्रार्थीगण नं० 1 ता 6 के विरुद्ध ता फैसला दावा अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि चक नं० 29 MMK. के खाता सं० 48/44 में 2.974 हैक्टेयर व 30 M.M.K के खाता नं० 84/80 में 2.576 हैक्टेयर अप्रार्थीगण नं० 1 ता 6 के नाम दर्ज है में से प्रार्थीया के 1/7 हिस्सा की भूमि को रहन बैय व मुन्तकिल नहीं करें तथा रिकार्ड की यथा स्थिति बनाए रखें। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश बसरे इजलास सुनाया गया। (हस्ताक्षर)

तहसील ...
... कार्यपालक मजिस्ट्रेट ...
... हनुमानगढ़